



सत्यमेव जयते
Government of India

218
MOST IMMEDIATE

RTI Matter

By Speed post

No. 9/7/2013-NE-II(Vol. II)
Government of India / भारत सरकार
Ministry of Home Affairs / गृह मंत्रालय
NE Division / पूर्वोत्तर प्रभाग

North Block, New Delhi – 110001
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110001

Dated 12.12.2013

To,


✓
Ms. Rubi Sharma,
D/o Shri Ashok Kumar Sharma,
R/o Rasulpur Rohta,
Thesil & District-Meerut
Uttar Pradesh

Sub: - Information sought under RTI Act, 2005-reg.

This has reference to this Ministry's letter no. A.42012/81/2013-Ad.II dated 3rd December, 2013 forwarding your RTI application dated 27.09.2013, to provide information sought by you.

2. In this regard, the information available with this Division may be treated as 'Nil'.
3. If you are not satisfied with the reply, you can make an Appeal as per provisions of the RTI Act, 2005 to Shri Shambhu Singh, Joint Secretary (NE), Room no. 109-C, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi-110001, within one month from the date of receipt of this communication.

Yours faithfully



(J.P.N Singh)



Director (NE) & CPIO
Telefax: 23092485

o/c

Copy to:-

1. RTI Section, MHA, New Delhi-w.r.t.-O.M No. A.43020/01/2013-RTI dated 29.12.2013
2. Sh. V.K. Rajan, Deputy Secretary (E) & CPIO, Admn. Division, New Delhi, -w.r.t Letter no. A.42012/81/2013-Ad.II dated 3rd December, 2013.




13/12/13

12/12/13
48/P3

01 OCT 2013
1684/SL
New Delhi
DR Secy Block

विषय में,

211

श्री मानू जन सूचना अधिकारी/सचिव गृह मंत्रालय

भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय:- जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने

हेतु :-

18. पृथक:- क्या आपके मंत्रालय द्वारा ग्राम रसूलपुर रोहटा तहसील व जिला मेरठ में स्थित भूमि खसरा संख्या- 45, खसरा संख्या- 554अ, ब 556ब, व खसरा संख्या- 557 व, 554ब क्या विवादित जमीन है, और मुकदमा कोर्ट में विचारधीन है, के सम्बन्ध में एक जन साधारण सूचना आपके विभाग में कार्यरत प्रभारी निरिक्षक अधिकारी नरेश चन्द शर्मा पुत्र स्वः सुरजबल शर्मा के माध्यम से प्रकाशित कराई है, जिसमें नरेश चन्द शर्मा ने इस सूचना को प्रकाशित कर यह भ्रान्ति पैदा की है कि जैसे गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश से यह सूचना प्रकाशित की गयी है। इसका विस्तार पूर्वक उत्तर दिया जावे।

19. यदि आपके मंत्रालय द्वारा नरेश चन्द शर्मा को इस जन सूचना को प्रकाशित करने के लिये अधिकृत नहीं किया तो उन्होंने गृह मंत्रालय भारत सरकार, आज्ञा से, सूचना प्रकाशित कर अपने पद का दुरुपयोग कर भ्रान्ति जन साधारण के लिये क्यों उत्पन्न की है, के सम्बन्ध में नरेश चन्द शर्मा से स्पष्टीकरण लिया जावे, तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जावे। जिसके सम्बन्ध में जबाब द्वारा पार्थी को सूचित किया जावे।

A-1
A-2
Dinakar
D.S. (P)

Rudra Sharma

०३० यह कि नरेश चन्द्र शर्मा से वह दस्तावेजी साक्ष्य मांगे जावे कि उपरोक्त वर्णित जमीन कैसे विवादित है । और कि न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है । यदि वह आपको उपलब्ध नहीं कराते तो मिथ्या तथ्यों गृह मन्त्रालय भारत सरकार के नाम का सहारा लेकर यह जन सूचना प्रकाशित की , के सम्बन्ध में नरेश चन्द्र शर्मा का स्पष्टीकरण लिया जावे , तथा जो भी कार्यवाही नरेश चन्द्र शर्मा के विरुद्ध की जावे । की सूचना अवििलम्ब प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरान्त प्रार्थीन का उत्तर प्रेषित करते ह्ये उपलब्ध करायी जावे ।

दिनांक:- 27-09-2013

प्रार्थीनी

Ruby Sharma

संलग्नक:-

रुबी शर्मा पुत्री श्री अशोक कुमार शर्मा

=====

1- फोटो ओर अंकन 10/-रु.

नि. ग्राम रसूलपुर रोहटा , पर 0 तह 0 व

सं- 17 F-841722

जिला मेरठ । हाल पता- 81 जे. तुलसी

दिनांक :- 27/9/13

कालौनी, गली नं.-2, कंकरखेडा, मेरठ ।

2- सूचना जन साक्षारण के प्रकाशन

बोर्ड की फोटो ।

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...